न्यायालय–द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद (समक्ष :– पी०सी०आर्य)

वैवाहिक प्रकरण <u>कमांकः 38 **/ 2015** संस्थापन दिनांक 29 / 06 / 2015</u> फाइलिंग नंबरः 230303004452015

अनावेदिका पूर्व से एक पक्षीय

ः आदेशः

(आज दिनांक 4 अगस्त 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

- 1. इस आदेश द्वारा आवेदक के मूल आवेदन पत्र अंतर्गत धारा—9 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 दिनांक 25/06/2015 का निराकरण किया जा रहा है। जिसके माध्यम से आवेदक ने अनावेदिका के विरूद्ध दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की आज्ञप्ति चाही है।
- 2. आवेदक का मूल आवेदन पत्र की सार संक्षेप में इस प्रकार है कि उसका अनावेदिका श्रीमती किरण के साथ दिनांक 27/04/2015 को शप्तपदी के माध्यम से विवाह हुआ था। जिसके बाद अनावेदिका कुछ समय तक उसके साथ अच्छी तरह से रही और पहली बिदा के लिए जब वह अपने पिता के साथ अनावेदक के घर से दिनांक 01/05/2015 को गयी तब समस्त जेवरात, कपड़े आदि कीमत करीब 80,000 रूपये ले गयी थी। उसके बाद से फिर वापिस उसके पास रहने के लिए नहीं आयी। जिस पर वह कई बार अनावेदिका के मायके लिवाने भी गया, किंतु अनावेदिका नहीं आयी और उसके परिवार वालों ने उसके साथ भेजने से इंकार

कर दिया जबिक वह अनावेदिका को अपने पास अच्छी तरह से रखने और भरण—पोषण और देख—रेख करने को तैयार है। जिसके लिए समाज की पंचायत भी जोड़ी गयी थी, किंतु पंचायत में भी अनावेदिका और उसके परिवार जनों ने कोई बात नहीं मानी और भेजने से इन्कार कर दिया जिससे अनावेदिका उसे दाम्पत्य संबंधों से अकारण वंचित किये हुए है। जिसके कारण उत्पन्न हुए विधिकरण तहत उक्त आवेदनपत्र प्रस्तुत कर इस आशय की आज्ञप्ति चाही है कि अनावेदिका उसके पास आकर पत्नी धर्म का पालन करे और जो जेवरात, कपड़े आदि ले गयी है वह भी साथ लेकर आवे। आवेदनपत्र शपथपत्र से समर्थित पेश किया है।

- 3. प्रकरण में अनावेदिका पर दिनांक 03/05/2016 को सम्यक तामील हो जाने के पश्चात भी उसकी प्रकरण में उपस्थिति न होने पर नियत दिनांक 27/06/2016 को उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही संस्थित की गयी है। अनावेदिका की ओर से मूल आवेदनपत्र का कोई जबाव भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 4. प्रकरण में आवेदक के उक्त आवेदनपत्र के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है।
 - 1. क्या अनावेदक बिना किसी युक्तियुक्त हेतुक के आवेदक का परित्याग किये हुए है ?
 - 2. यदि हां तो क्या आवेदक अनावेदक के विरूद्ध दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की आज्ञप्ति प्राप्त करने का पात्र है।

—:सकारण निष्कर्ष:— —::— विचारणीय बिन्दु क0—1 व 2 —::—

उक्त दोनों विचारणीय बिन्दु एक दूसरे से संबंधित होने से उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

5. प्रकरण में आवेदक की ओर से अपने मूल आवेदनपत्र के संबंध में स्वयं आवेदक सतेन्द्र (आ०सा०—1), नरेश (आ०सा०—2) और सत्यभान (आ०सा०—3) के आदेश—18 नियम 4 सी०पी०सी० के तहत मुख्य परीक्षण के शपथपत्र प्रस्तुत किये गये है। जिसमें तीनों ही साक्षीयों ने एक जैसे अभिसाक्ष्य देते हुए आवेदक सतेन्द्र (आ०सा०—1) ने मुख्यतः यह बताया है कि उसकी अनावेदिका के साथ दिनांक 27 / 04 / 2015 को शादी हुई थी। अनावेदिका उसकी विवाहिता पत्नी है, जो शादी के बाद अच्छी तरह से रही, किंतु पहली बिदा के लिए जब वह अपने पिता के साथ उसके घर से दिनांक 01 / 05 / 2015 को गयी थी, तब शादी में चढ़ाये समस्त

सोने, चांदी के जेवरात और कपड़े ले गयी थी। जिसकी कीमत करीब 80,000 रूपये होगी, उसके बाद अनेक बार वह लिवाने गया, किंतु अनावेदिका नहीं आयी और उसके मायके वालों ने भी भेजने से मनाकर दिया, जिसके संबंध में पंचायत भी समाज की रखी गयी थी। जिसमें भी अनावेदिका को उसके घर वालों ने भेजने से साफ इंकार कर दिया। अनावेदिका उसे दाम्पत्य अधिकारों से वंचित किये हुए है। जिसका समर्थन नरेश (आ०सा0—2) और सत्यभान (आ०सा0—3) ने भी अपने अभिसाक्ष्य में किया है।

- 6. आवेदक की ओर से पेश की गयी मौखिक साक्ष्य, मूल आवेदन के साथ पेश किया गया विवाह पत्र के अवलोकन से खण्डन के अभाव में एक पक्षीय रूप से यह प्रमाणित होता है कि अनावेदिका आवेदक की विवाहिता पत्नी है, जो वर्तमान में बिना किसी युक्तियुक्त कारण के आवेदक का परित्याग कर मायके में निवासरत है, जबिक आवेदक उसे पत्नी के रूप में साथ रखने उसका भरण पोषण व उचित देख—रेख, सुरक्षा आदि करने को तत्पर व तैयार है। इसलिए एक पक्षीय रूप से आवेदक का मूल आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होकर सद्भावी है। परिणामस्वरूप दोनों विचारण बिन्दु एक पक्षीय रूप से आवेदक के पक्ष में निर्णित कर उसके पक्ष में निम्न आशय की एक पक्षीय आज्ञप्ति प्रदत्त की जाती है।
 - 1. अनावेदिका श्रीमती किरण पत्नी सतेन्द्र उर्फ सत्यनारायण पुत्री रामप्रकाश को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदक के पास बतौर धर्मपत्नी रहकर अपने दाम्पत्य कर्तब्यों का निर्वहन सुचारू रूप से निर्वाहित करे।
 - 2. प्रकरण एक पक्षीय होने से प्रकरण व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

तद्नुसार एक पक्षीय डिकी बनायी जावे।

दिनांक : 04 अगस्त 2016

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया । ү मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)